फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

औमप्रकाश पिता रामदेव जाति माली निवासी शक्करपुरा

बनाम

कालू पिता धन्ना जाति माली निवासी शक्करपुरा आदि

स्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 641/2023

म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
23	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम रूघनाथपुरा पटवार हल्का जामोली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 344/296 कुल किता 01 रकबा 0.6475 हैंक्टेयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी हैं । अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हैं , अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत **2074 से 2077** तक के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया हैं । अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता हैं । अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम रूघनाथपुरा पटवार हल्का जामोली तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 344/296 कुल किता 01 रकबा 0.6475 हैंक्टेयर** की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक **पण्डेर** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस 500 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी,** **जहाजपुर(भीलवाडा)**	

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

/रीडर/2023/641/2023 दिनांक :– 21.06.2023

तहसीलदार जहाजपुर

प्र. स. 641/23 अनवान औमप्रकाश पिता रामदेव जाति माजी निवासी शक्करपुरा **बनाम** कालू पिता धन्ना माली, नारायण पिता जगनाथ माली, लक्ष्मण पिता खाना बैरवा, देवकरण पिता राजू लाल बैरवा, मनोहर उपाध्याय पिता रामस्वरूप उपाध्याय ब्राहम्ण निवासीयान शक्करपुरा तहसील जहाजपुर जिला–भीलवाडा राजस्थान

पथरगढी की पालना करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में **ग्राम रूघनाथपुरा पटवार हल्का जामोली जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 344/296 कुल किता 01 रकबा 0.6475** भुमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक **पण्डेर** को नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर गा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के प्रभावित नही किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)